

२५-१९

पत्रावली पेश करने वाले व्यक्ति  
पीठासीन अधिकारी को पेश करने  
है। अतः पत्रावली आवेग का कार्यवाही के  
लिए दिनांक २८-३-१९ को पेश हो।

आदेश से



२८-३-१९

पत्रावली पेश करने वाले व्यक्ति (उत्तराखण्ड उपस्थित)  
निगाहाना स्वयं से प्राप्त पत्र पत्रिका  
का निवेदन किया कि वह निगाहाना  
प्रकाश के कार्यवाही नहीं चाहता है।  
तथा प्रकाश के नोटेशन को भी प्राप्त नहीं  
है। प्राप्त स्वयं से प्राप्त पत्र उत्तराखण्ड  
इस निगाहाना प्रकाश की कार्यवाही नहीं  
करने पर प्रकाश की नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
मीलवाडा (राज.)